हरियाणा सरकार

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग

अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के ध्यानार्थ घर से ही भरे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदनपत्र

केंद्रीय प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग
के अन्तर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्ध-घुमन्तु जातियों एवं अन्य
पिछड़े वर्ग के पोस्ट मैट्रिक से पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, जिनके
माता-पिता/ अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु
2.50 लाख रुपये, विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्ध-घुमन्तु जातियों के (इस बारे अलग से
प्रमाणपत्र संलग्न करने पर) छात्रों हेतु 2.00 लाख रुपये एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों
हेतु 1.00 लाख रुपये से अधिक न हो, को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। घुमन्तु/अर्ध-
घुमन्तु तथा टपरीवास जातियों में से जो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की श्रेणी में
शामिल नहीं हैं, उन्हें भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

प्रतिवर्ष छात्रों से विभिन्न समाचारपत्रों में विज्ञापन देकर आवेदनपत्र आमंत्रित किये जाते
थे। वर्ष 2017-18 में उक्त स्कीमों के अंतर्गत छात्र अपने आवेदनपत्र ऑनलाइन (on-
line) ही भर सकते हैं। अतः हरियाणा निवासी सभी छात्रों जो विश्वविद्यालयों/
महाविद्यालयों/ तकनीकी संस्थानों/ मेडिकल संस्थानों व आईटीआई से डिग्री/ डिप्लोमा
कर रहे हैं (रैन्यूवल केसों सहित) और स्कीम अनुसार छात्रवृत्ति के पात्र हैं, वे छात्र वर्ष
2017-18 की छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदनपत्र घर बैठे/ ऑनलाइन (on-line) भरें।
मैनुअली (Manually) भरे गये आवेदनपत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किये बगैर तुरंत ऑनलाइन
(on-line) फार्म भरें। छात्रवृत्ति पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर स्वीकृत की
जाएगी। किसी भी मध्यस्थ/एजेंट के चक्कर में न पड़ें तथा किसी को अपनी बैंक पास
बुक, एटीएम, खाता नंबर एवं प्रमाणपत्र न दें क्योंकि इनके आधार पर कोई आपके
प्रमाणपत्रों का गलत प्रयोग कर सकता है। ऐसे विवाद की स्थिति में पूर्ण जिम्मेवारी आपकी
होगी। आवेदन करने से पूर्व छात्र यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अंतिम रूप से उस
संकाय में दाखिला लेने का निर्णय ले लिया है क्योंकि एक से अधिक संकाय में छात्रवृत्ति
हेतु आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई छात्र एक से अधिक बार अलग-
अलग कालेजों से आवेदन करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

जो छात्र अपना आवेदन पत्र भरना चाहते हैं वे अपने शैक्षणिक संस्थान को भी रजिस्टर्ड
करने को कहें। आवेदनपत्र भरने हेतु विभागीय वेबसाइट **http://www.hryscbc-
schemes.in** पर आवेदन करें। चैकलिस्ट देखने न भूलें। छात्रों को यदि स्वयं
आवेदनपत्र भरने/अपलोड करवाने में कोई कठिनाई आ रही हो तो अपने जिले से संबंधित
जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को कागजात सहित
सहायता हेतु संपर्क कर सकते हैं। आवेदनपत्र भरने/अपलोड करने हेतु विभागीय वेबसाइट
दिनांक 20.11.2017 से 31.12.2017 तक खुली रहेगी। किसी भी प्रकार असुविधा की
स्थिति में आप जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में तथा समाधान न होने पर
निदेशालय में स्थित हैल्पलाइन नं. 0172-2707009 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

(गीता भारती, आईएएस),
निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
हरियाणा, चंडीगढ़।
दूरभाष नं. : 0172-2707009.

PRDH-57836

SCHOLARSHIP & SC/ST CELL
GURU JAMBHESHWAR UNIVERSITY SCIENCE & TECHNOLOGY, HISAR

Endst. No. Sch. & SC/ST/17/ 1171-1195 Dated : 11.12.2017

Copy of above is forwarded to following for information and further necessary action.

1. The Director, HSB & DDE, GJUS&T, Hisar.
2. All Chairpersons, Uni. Teaching Deptts., GJUS&T, Hisar.
3. University Librarian, GJUS&T, Hisar.
4. Head (UCIC) with request to upload the above information on the university website.
5. All Wardens (Boys & Girls) Hostels, GJUS&T, Hisar.
6. Secy. to Vice Chancellor (for kind information of the VC).,GJU, Hisar
7. ~~PA~~ to Registrar (for kind information the Registrar) GJU. Hisar
Supdt.

11/12/17

Asstt. Registrar (Sch. &SC/ST Cell)